न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

–संशोधित आदेश–

दिनांक :– 28.02.2025

रवि कुमार व अन्य बनाम रामकुमार व अन्य

वाद संख्या 01/2024
निर्णय दिनांक 07.11.2024
डिक्री दिनांक 20.11.2024
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनवानी वाद का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2024 को किया जा चुका है। उपरोक्त अनवानी दावा में वादीगण व प्रतिवादी पक्षकार एक ही परिवार के सदस्य है जिनके द्वारा राजीनामा प्रस्तुत हुआ था, उस राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया गया चूंकि राजीनामा में रणवीर राजीनामा में रणवीर का कुल हिस्सा का कुछ रकबा गणितीय भूल 1.8960 हैक्टे0 की जगह 1.9040 हैक्टे0 दर्ज होना था व टंकनीय भूल के कारण रवि कुमार का मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 15 में 0.0180 हैक्टे0 की जगह 0.0200 हैक्टे0 दर्ज होना था उक्त 0.0020 हैक्टे0 रकबा किसी भी पक्षकार के हिस्सा में दर्ज होने से रह गया था जिस कारण इंतकाल में कानूनी दिक्कते आ रही है व इसी अनुसार कुल जोड़ 3.1440 हैक्टे0 की जगह 3.1460 हैक्टे0 दर्ज होना था जो सहवनवंश दर्ज होना रह गया था इसलिए इस गणितीय व लिपिकीय भूल को दुरुस्त किया जाना आवश्यक व जरूरी है ताकि पक्षकारान को इंसाफ मिल सके। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवानी दावा में माननीय न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 07.11.2024 में रणवीर का कुल हिस्सा 1.9040 हैक्टे0 व रवि कुमार का मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 15 में 0.0200 हैक्टे0 व कुल जोड़ 3.1460 हैक्टे0 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2024, डिक्री दिनांक 20.11.2024, राजीनामा दिनांक 05.02.2024 एवं प्रस्तुत जमाबंदियों का अवलोकन किया गया तो पाया कि राजीनामा में गणितीय भूल की वजह से प्रतिवादी रणवीर का हिस्सा 1.8960 हैक्टे0 हो गया जबकि उसका हिस्सा में आये रकबा का जोड़ 1.9040 हैक्टे0 हो रहा है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2073–76 चक 3 पी बडी के खाता संख्या 39/27 के मु.न. 19 के किला नं. 15 में 0.228 हैक्टे0 में से प्रतिवादी रणवीर के हिस्सा में किला नं. 15 का 0.208 हैक्टे0 एंव प्रार्थी रणवीर के हिस्सा में किला नं. 15 का 0.0200 हैक्टे0 (0.208+0.020=0.228) आना था जो कि मुता[illegible] संवहन से 0.0180 हैक्टे0 टंकित हो गया था चूंकि वाद में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा [illegible] किया गया था। राजीनामा में उक्त लिपिकीय त्रुटि हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त लिपिकीय व गणितिय त्रुटि में संशोधान बावत निवेदन किया है और समस्त पक्षकारान ने भी उपस्थित होकर उक्त राजीनामें में प्रार्थी के प्रस्तावित संशोधन बावत पुष्टि की है जिसके आधार पर गणितिय एंव लिपिकीय भूल को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के अन्तर्गत सुधार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:13:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर यह संशोधित आदेश जारी किया जाता है कि न्यायालय द्वारा उक्त अनवानी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2024 एवं डिक्री दिनांक 20.11.2024 में प्रतिवादी रणवीर का हिस्सा 1.8960 हैक्टे0 की जगह 1.9040 हैक्टे0 पढा जावे । इसी प्रकार रवि कुमार का मुरब्बा नं. 19 के किला नं. 15 में 0.0180 हैक्टे0 की जगह 0.0200 हैक्टे0 पढा व माना जावे।

संशोधित आदेश मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 फरवरी, 2025 को जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:13:55 IST
Reason: SelfAttested